



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 779]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 2011/वैशाख 12, 1933

No. 779]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 2011/VAISAKHA 12, 1933

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2011

का.आ. 961(अ).—गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 8 के साथ पठित धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 5.2.1997 की अधिसूचना सं.सां.आ. 85(अ) में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:

“6.	डा. गिरिजा वाग,संयुक्त सचिव,चैतन्य, कर्वे नगर, पुणे	सदस्य
7.	डा. गायत्री ठक्कर, एमडी, गायनीकोलॉजिस्ट व आबस्टेट्रिसियन, सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, जामनगर, गुजरात	सदस्य
8.	डा. बानी सरकार, एचओडी, डि.ऑफ आबस्टेट्रिस्क व गायनीकोलॉजी विभाग, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली	सदस्य
9.	डा. संजय अनंत गुप्ते, पूर्व आबस्टेट्रिक्स प्रेसिडेन्ट, एफओजीएसआई, मुम्बई	सदस्य
10.	डा. वी.के.पॉल, प्रोफेसर एंड हेड, डि. ऑफ पेडियाट्रिक्स विभाग, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य

11.	सुश्री रविन्द्र कौर, प्रोफेसर, सोसियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमेनिटिज एंड सोशल साइंसेज विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	सदस्य
12.	डा. राजीव यारवदेकर, डायरेक्टर, सिम्बायोसिस इन्सटीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड डीन, फैकल्टी ऑफ हेल्थ साइंसेज, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, सेनापति बापत रोड, पुणे	सदस्य
13.	प्रो. डी.एम. दिवाकर, डायरेक्टर, डा. ए.एन.सिन्हा इन्सटीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, पटना, बिहार	सदस्य
14.	डा.नीलम सिंह, सेक्रेटरी, वात्सल्य, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	सदस्य
15.	डा. सुभाष मेंधापुरकर, डायरेक्टर, सोसायटी फॉर सोशल अपलिफ्ट श्रो रूरल एक्शन (सूत्र), जगजीत नगर, वाया-जुब्बेर, हिमाचल प्रदेश	सदस्य

उपर्युक्त सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की तारीख से शुरू होकर तीन वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगा।

2. उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या-19,20,21,22, और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

19.	सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली	सदस्य
20.	सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), केरल सरकार	सदस्य
21.	सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), पंजाब सरकार	सदस्य
22.	सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), राजस्थान सरकार	सदस्य

उपर्युक्त सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना की तारीख से शुरू होकर एक वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगा।

3. (केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड (कार्य संपादन) विनियमन, 1999 के विनियम 5 के साथ पठित गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 11 (1) के संदर्भ में, निम्नलिखित व्यक्ति आगले आदेशों तक केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड में विशेष आमंत्रित व्यक्ति होंगे)। :

24.	प्रॉसिडेंट, इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन, नई दिल्ली	विशेष आमंत्रित
25.	सेक्रेटरी जनरल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, नई दिल्ली	विशेष आमंत्रित
26.	प्रेसिडेन्ट, फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनीकोलॉजिक	विशेष आमंत्रित

	सोसायटीज ऑफ इंडिया (एफओजीएसआई)	
27.	सुश्री बृंदा करात, संसद सदस्य, (राज्य सभा)	विशेष आमंत्रित
28.	सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), जम्मू एंड कश्मीर सरकार	विशेष आमंत्रित
29.	सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), हरियाणा सरकार	विशेष आमंत्रित
30.	सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), गुजरात सरकार	विशेष आमंत्रित
31.	सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), हिमाचल प्रदेश सरकार	विशेष आमंत्रित
32.	सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग	विशेष आमंत्रित
33.	डा. नीलम सिंह, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एफ-20, फर्स्ट फ्लोर, विश्वकर्मा कॉलोनी, एमबी रोड, नई दिल्ली-110062	विशेष आमंत्रित
34.	सुश्री एना सिंह, यूएनएफपीए	विशेष आमंत्रित

[फा. सं. 24026/1/2004-पीएनडीटी]

अनुराधा गुप्ता, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : मुख्य अधिसूचना 5 फरवरी, 1997 के सं.आ. 85 (अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई और 28 फरवरी, 1998 के सं.आ. 160 (अ) के तहत संशोधित की गई। इसमें आगे और संशोधन सं.आ. 964 (अ) दिनांक 13 अगस्त, 1998; सं.आ. 61 (अ) दिनांक 14 जनवरी, 2000; सं.आ. 114 (अ) दिनांक 1 फरवरी, 2000; सं.आ. 349 (अ) दिनांक 20 अप्रैल, 2001, सं.आ. 931 (अ) दिनांक 19 सितम्बर, 2001, सं.आ. 590 (अ) दिनांक 31 मई, 2002, सं.आ. 119 (अ) दिनांक 12 नवम्बर, 2002, सं.आ. 703 (अ) दिनांक 18 जून, 2003, सं.आ. 1458 (अ) दिनांक 23 दिसम्बर, 2003, सं.आ. 99 (अ) दिनांक 20 जनवरी, 2004, सं.आ. 367(अ) दिनांक 17 मार्च, 2004, सं.आ. 1008 (अ) दिनांक 16 सितम्बर, 2004, सं.आ. 56 (अ) 19 जनवरी, 2006, सं.आ. 199 (अ), दिनांक 10 फरवरी, 2006, सं.आ. 1854 (अ) दिनांक 30 अक्टूबर, 2006, सं.आ. 1506 (अ), दिनांक 16 जून, 2008, सं.आ. 130 (अ), दिनांक 6 जनवरी, 2009 तथा सं.आ. 2143 (अ) और सं.आ. 43 (अ) दिनांक 20 अगस्त, 2009 के तहत किया जाएगा।

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2011

**S.O. 961(E).**— In exercise of the powers conferred by Section 7 read with Section 8 of the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994, the Central Government hereby makes the following further amendment in the Notification No. S.O. 85(E) dated the 5th February, 1997, issued by Government of India, in the Ministry of Health and Family Welfare, namely:

2. In the said notification for serial numbers 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

6.	Dr. Girija Wagh, Joint Secretary, Chaitanya, Karve Nagar, Pune.	Member
7.	Dr. Gayatri Thaker, M.D., Gynaecologist & Obstetrician, Siddhivinayak Hospital, Jamnagar, Gujarat.	Member
8.	Dr. Bani Sarkar, HOD, Department of Obstetrics and Gynaecology, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi.	Member
9.	Dr. Sanjay Anant Gupte, Former President, FOGSI, Mumbai.	Member
10.	Dr. V. K. Paul, Professor & Head, Department of Paediatrics, AIIMS, New Delhi.	Member
11.	Ms. Ravinder Kaur, Professor, Sociology & Social Anthropology, Department of Humanities & Social Sciences, Indian Institute of Technology, Delhi.	Member
12.	Dr. Rajiv Yaravdekar, Director, Symbiosis Institute of Health Sciences & Dean, Faculty of Health Sciences, Symbiosis International University, Senapati Bapat Road, Pune.	Member
13.	Prof. D. M. Diwakar, Director, Dr. A. N. Sinha Institute of Social Sciences, Patna, Bihar.	Member
14.	Dr. Neelam Singh, Secretary, Vatsalya, Lucknow, Uttar Pradesh.	Member

15.	Dr. Subhas Mendhapurkar, Director, Society for Social Uplift Through Rural Action (SUTRA), Jagjit Nagar, Via-Jubber, Himachal Pradesh.	Member
-----	--	--------

The term of office of the above members shall be for a period of three years commencing from the date of this notification or till further orders whichever is earlier.

2. In the said notification for serial numbers 19, 20, 21, 22, and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

19.	Secretary (H&FW), Govt. of GNCT, Delhi	Member
20.	Secretary (H&FW), Govt. of Kerala	Member
21.	Secretary (H&FW), Govt. of Punjab	Member
22.	Secretary (H&FW), Govt. of Rajasthan	Member

The term of office of the above members shall be for a period of one year commencing from the date of this notification or till further orders whichever is earlier.

3. [In terms of Section 11 (1) of the Pre-conception and Pre-Natal Diagnostic Technique (Prohibition of Sex selection) Act, 1994, read with Regulation 5 of the Central Supervisory Board (Transaction of Business) Regulations, 1999, the following shall be the Special Invitees in the Central Supervisory Board (CSB) till further orders]:

24.	President, Indian Radiological & Imaging Association, New Delhi.	Special Invitee
25.	Secretary General, Indian Medical Association, New Delhi	Special Invitee

1565 4/11-2

26.	President, Federation of Obstetric and Gynaecologic Societies of India (FOGSI)	Special Invitee
27.	Ms. Brinda Karat, M.P.(Rajya Sabha)	Special Invitee
28.	Secretary (H&FW), Government of J&K	Special Invitee
29.	Secretary (H&FW), Government of Haryana	Special Invitee
30.	Secretary (H&FW), Government of Gujarat	Special Invitee
31.	Secretary (H&FW), Government of H.P.	Special Invitee
32.	Member Secretary, National Commission for Women	Special Invitee
33.	Dr. Neelam Singh, Advocate, Supreme Court of India, F-20, 1 <sup>st</sup> Floor, Viswakarma Colony, M.B. Road, New Delhi - 110062	Special Invitee
34.	Ms.Ena Singh, UNFPA	Special Invitee

[F. No. 24026/1/2004-PNDT]

ANURADHA GUPTA, Jt. Secy.

**Footnote:-** The Principal notification was published in the Gazette of India vide S.O.85(E) dated 5<sup>th</sup> February, 1997 and amended vide S.O. 160(E) dated 28<sup>th</sup> February, 1998 and further amended vide S.O. 694(E) dated 13<sup>th</sup> August 1998; S.O. 61(E) dated 14<sup>th</sup> January, 2000; S.O. 114 (E) dated 1<sup>st</sup> February, 2000; S.O. 394 (E) dated 20<sup>th</sup> April, 2001; S.O. 931 (E) dated 19<sup>th</sup> September, 2001; S.O. 590 (E) dated 31<sup>st</sup> May, 2002; S.O. 119 (E) dated 12<sup>th</sup> November, 2002; S.O. 703 (E) dated 18<sup>th</sup> June, 2003; S.O. 1458(E) dated 23<sup>rd</sup> December, 2003; S.O. 99 (E) dated 20<sup>th</sup> January, 2004; S.O. 367(E) dated 17<sup>th</sup> March, 2004; S.O. 1008(E) dated 16<sup>th</sup> September, 2004; S.O. 56(E)19<sup>th</sup> January, 2006; S.O. 199(E) dated 10<sup>th</sup> February, 2006; S.O. 1854(E) dated 30<sup>th</sup> October, 2006; S.O. 1506(E) dated 16<sup>th</sup> June, 2008; S.O. 130(E) dated 6<sup>th</sup> January, 2009 and S.O. 2143(E) dated 20<sup>th</sup> August, 2009.